भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2310
दिनांक 02.01.2019/12 पौष, 1940 (शक) को उत्तर के लिए

परासैनिक बलों को रक्षा बलों के समान लाभ

2310. श्री संजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 29 सितम्बर, 2018 को मीडिया में घोषणा की थी कि रक्षा कार्मिकों को उपलब्ध लाभ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) अर्थात सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल), असम राइफल और सीआईएसएफ को दिए जाएंगे;
(ख) मीडिया में इसकी घोषणा कब की गई; और
(ग) अब तक अधिसूचना जारी न किए जाने और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा इस संबंध में 29 सितम्बर, 2018 को ऐसी कोई प्रेस-विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी।

****